अनुदान संख्या 8 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 – MINISTRY OF CIVIL AVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3184,15,00		5497,45,00	4991,20,50	-506,24,50
पूरक	Supplementary	2313,30,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					502,10,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	40,52,00		66927,01,00	66926,99,99	-1,01
पूरक	Supplementary	66886,49,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹50624.50 लाख) जुलाई, 2021 दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹231330.00 लाख के पूरक अनुदानों का 22 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹50624.50 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grants of ₹231330.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	306933.00			
पू.	S.	228930.00	494856.00	494544.35	-311.65
पु.	R.	-41007.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6999.00			
पू.	S.	2400.00	..	..	..
पु.	R.	-9399.00			

(I) ₹9527.00 लाख का प्रावधान (₹2401.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाय इसमें से ₹9399.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹9527.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2401.00 lakhs) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹9399.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads: -

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी और विमानन अवसंरचना मुहैया कराना – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹2400.00 लाख का पूरक प्रावधान।

(A) "Providing Air Connectivity and Aviation Infrastructure in North Eastern Region (NER) – Regional Connectivity Scheme" – supplementary provision of ₹2400.00 lakhs;

(खा) "अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹6999.00 लाख।

(B) "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - ₹6999.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विर्नियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत प्राप्त की गई पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहीं:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3053" – "General" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) "निदेशन और प्रशासन – तत्कालीन एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारी" – ₹16500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके निधियां मुहैया कराई गई थीं, जो तथापि, एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस और एनएचए के जरिए मेडीकल स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने के कारण ₹12000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(A) "Direction and Administration – Retired Employees of Erstwhile Air India" – funds were provided by obtaining supplementary grant of ₹16500.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹12000.00 lakhs – due to finalization of medical scheme through CGHS and NHA for retired employees of Air India.

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – एयर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद'' – ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹17824.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17825.00 लाख कर दिया गया जो तथापि, एयर इंडिया लिमिटेड का विनिवेश किए जाने के कारण ₹8225.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Purchase of New Aircraft" – the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹17825.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹17824.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹8225.00 lakhs - due to disinvestment of Air India Ltd.

(III) "मुख्य शीर्ष "3053'' – "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता – एयर इण्डिया असेट होलडिंग'' – ₹89099.00 लाख की बचत (₹226899.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए, आय का मौद्रीकरण तथा एआईएएसएल के साथ राजस्व साझा करने के कारण एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों से देय शेष प्राप्त करने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3053" - "General – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Air India Assets Holding (SPV)" – saving of ₹89099.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226899.00 lakhs) was due to receipt of outstanding dues from Air India and its subsidiaries on account of rentals, monetization of proceeds and revenue share with AIASL.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹67292.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3053" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹228930.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹67292.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹228930.00 lakhs under Major Head "3053" – under the following heads: -

(का) "हवाई सेवाएं – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्कीम – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹1024.00 लाख।

(A) "Air Services – Schemes for NE Region – Regional Connectivity Scheme" - ₹1024.00 lakhs.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता" –

(a) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" –

(i) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान" – ₹8351.00 लाख।

(i) "Grants in aid to AAI for NE Region" - ₹8351.00 lakhs.

(ii) "भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को अन्य अति–महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान – ₹9331.00 लाख।

(iii) "एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड – एसईएसएफ" – ₹3187.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय " –

(i) "एईआरए को सहायता अनुदान" – ₹1400.00 लाख।

(ii) "क्षेत्रीयता कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹43999.00 लाख।

(ii) "Grants in aid to AAI for other Crucial Areas" - ₹9331.00 lakhs.

(iii) "Air India Engineering Services Limited – SESF" - ₹3187.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure" –

(i) "Grants-in-aid to AERA" - ₹1400.00 lakhs.

(ii) "Regional Connectivity Scheme" - ₹43999.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागर विमानन'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1105.23 लाख का अधिक व्यय (₹11107.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, एफओआई और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, एनआईईएलआईटी द्वारा डीजीसीए की परीक्षा आयोजित करने और एनआईसीएसआई के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3053" – "General – Direction and Administration – Director General Civil Aviation" – excess of ₹1105.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11107.40 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards hiring of FoIs and consultants, conducting of exams of DGCA by NIELIT and clearance of pending bills of NICSI.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹448.44 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹448.44 lakhs occurred constituting 10 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly untilized under one head which was eventually surrendered.